

MADHAV INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE, GWALIOR

(A Govt. Aided UGC Autonomous & NAAC Accrediated Institute Affiliated to RGPV, Bhopal, M.P.)

क्रमांक: मु.ऑ./2022/61

दिनांक :22/08/2022

सूचना

सत्र 2021-22 में नियमित अध्यनरत अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के छात्र/छात्राएँ जो आवास सहायता राशि हेतु योग्यता रखते हैं को पुनः सूचित किया जाता है कि वे अपने आवास सहायता के आवेदन ऑनलाईन MPTAAS Portal /scholarship portal 2.0 पर भर चुके हैं वे निम्नलिखित दस्तावेजों को क्रमानुसार संलग्न कर दो प्रतियों में संस्था में दिनांक 02/09/2022 तक आवश्यक रूप से जमा करना सुनिश्चित करें ।

निर्धारित तिथि तक, सत्र 2021-22 के आवेदन जमा न करने वाले छात्र/छात्राएँ यदि आवास सहायता राशि प्राप्त करने से वंचित रहते हैं तो इसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं छात्रों की होगी।

1. पासपोर्ट साईज फोटो।
2. अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र।
3. आय प्रमाण पत्र (अगर पिता-माता शासकीय सेवा में हों तो संस्था प्रमुख द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र जिस पर जावक क्रमांक एवं दिनांक अंकित हो एवं माह मार्च 2019 में जारी किया गया हो।) अथवा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र।
4. मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं स्वयं का आधार कार्ड।
5. शा. छात्रावास अधीक्षक ग्वालियर, में स्थान रिक्त न होने का प्रमाण पत्र लगाना आवश्यक है।
6. पिछली समस्त अंकसूचियाँ।
7. प्रवेश स्लिप (प्रथम वर्ष के छात्र) अथवा रजिस्ट्रेशन की रसीद (द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ष के छात्र)।
8. स्थानांतरण प्रमाण पत्र, गैप प्रमाण पत्र (प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए)।
9. सत्र 2021-22 की शिक्षण शुल्क की रसीद।
10. आधार आधारित बैंक पास बुक।
11. स्वयं का आधार कार्ड।
12. जो मकान किराया से लिया है उस मकान मालिक द्वारा छात्र के रहने समधी शपथ-पत्र (किराया नामा)
13. छात्र द्वारा माता-पिता का शपथ-पत्र की ग्वालियर नगर निगम सिमा में मेरा एव सम्बन्धित का कोई मकान नहीं है।
14. पुलिस वैरिफिकेशन।
15. जो मकान किराए से लिया है उस भवन की हाऊस टैक्स की रसीद की छायाप्रति।
16. मकान मालिक को भुगतान किए गए किराए की रसीद की छायाप्रति।
17. समग्र आइ डी की छायाप्रति।

नोट :

- उक्त समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करें तथा एक प्रति स्वयं के पास सुरक्षित रखें।
- आवेदन पत्र में केवल सही जानकारी ही भरें।
- बैंक खाते की जगह अपने बैंक खाते की ही जानकारी भरें।
- सभी दस्तावेजों को स्वयं अभिप्रमाणित करें।
- **ऐसे सभी छात्र/छात्राएँ जो छात्रावास में निवास करते हों तो वह आवास सहायता योजना के पात्र नहीं होंगे।**

P. Jyoti
22/8/2022
(प्रो./डॉ. प्रवेश जायसवाल)
रजिस्ट्रार
K. S. V.

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधीश, जिला ग्वालियर।
2. सहा. आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, शारदा विहार, ग्वालियर।
3. नोडल अधिकारी (अनुसूचित जाति/जनजाति) -- प्राचार्य, डॉ. भीमराव अंबेडकर पॉलेटेक्निक विद्यालय, ग्वालियर।
4. वैब मैनेजर, एमआईटीएस, अपलोड करने हेतु।
5. समस्त सूचना पटल।
6. रजिस्ट्रार।
7. निदेशक कार्यालय।